राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प0 3(26)राज–6/2017/06 जयपुर, दिनांक 26/5/17

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

–:परिपत्रः–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार हेतु अनाधिवासित राजकीय भूमि आवंटन हेतु जिला कलक्टर सक्षम है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प0 6(17)राज–4/88/10 जी एस आर 103 दिनांक 3.12.88 द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 6(42)राज/ख/58 ग्रुप–1 दिनांक 20.04.61 में आंशिक संशोधन करते हुए ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार हेतु दी जाने वाली भूमि के संबधं में देय लगान का 20 गुना राशि के बराबर पंजीकृत मूल्य के संदाय से मुक्त कर दिया है।

राज्य सरकार द्वारा संचालित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान के क्रम में राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 13.04.2017 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी विस्तार हेतु भूमि सेटअपार्ट करने हेतु जिला कलक्टर की धारा 92 की शक्तियां संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को दिनांक 31.12.17 तक प्रदत्त की गई है।

राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प0 9(9) राज–6/2004/08 दिनांक 26.05.08 द्वारा भूमि सेटअपार्ट किये जाने के संबंध में मार्गदर्शक सिद्वान्त निर्देश जारी है । ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान के दौरान आबादी प्रयोजन हेतु भूमि सेटअपार्ट करने के विषय में कतिपय जिला कलक्टर द्वारा राजस्व विभाग से यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि कतिपय जिलों में जमाबन्दी के खाता संख्या 1 में भूमि गै0 मु0 आबादी दर्ज किया गया जो राजस्थान

acer/D/lalit/ईमेल **(dsrevenue6@gmail.com)**

सरकार के नाम दर्ज है को ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज किया जावे अथवा नही।

इस सबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन भूमि का इन्द्राज गै0 मु0 आबादी खाता संख्या 1 में दर्ज किया गया है और वह भूमि बिलानाम सिवायचक भूमि है तथा धारा 92 अनतर्गत सेटअपार्ट नही की गई तो उन्हें जिला कलक्टर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर आबादी विस्तार हेतु सेटअपार्ट कर सकते है।

भवदीय,

(पी0एस0 बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल अजमेर।
3. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
4. राविरा अजमेर।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

acer/D/lalit/ईमेल (dsrevenue6@gmail.com)